बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 142041 पटना, दिनांक 13/03/2013

ग्रा0वि08(थ0)-32/2008 (खंड)

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी के भुगतान के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 130144, दिनांक 27.11.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के कंडिका-4 में यह निदेश दिया गया था कि मजदूरों को ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु 1 फरवरी, 2013 से मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा । इस क्रम में निदेश किया गया था कि अभियान चलाकर वैसे जॉब कार्डधारियों का खाता बैंक में खुलवाया जाय जो वास्तव में मनरेगा में काम करते हों ।

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ है कि अभी भी ऐसे जॉब कार्डधारियों का खाता, बैंक में नहीं खुल पाया है जिससे इन मजदूरों को प्रासंगिक पत्र के आलोक में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भुगतान करने में कठिनाई हो रही है ।

इस क्रम में कहना है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मनरेगा के मजदूरों को भुगतान करने हेतु प्रासंगिक पत्र की कंडिका-4 एवं कंडिका-5 को संशोधित करते हुए निदेश दिया जाता है कि दिनांक 31.05.2013 तक ऐसे जॉब कार्डधारियों का खाता बैंक में खुलवाना सुनिश्चित किया जाय, तब तक इन्हें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है ।

1 जून, 2013 से सभी भुगतान बैंक के माध्यम से हीं किये जायेंगे ।

विश्वासभाजन

11.3.13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव ।